

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

मगना पिता भजा बैरवा नि. सियाणा वगैराह

बनाम

मोतीलाल पिता मोडा धाकड नि. सियाणा वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1274/2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर द तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुवे |
|------------|--|--|
| 30.11.21 | <p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 938, 939, 940, 945 कुल किता 04 रकबा 08.07 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण हैं। सीमा चिन्हों को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते हैं। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की स्थाई सीमा चिन्हों की जानकारी नही होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने वाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम सियाणा प. ह. फलासिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 938, 939, 940, 945 कुल किता 04 रकबा 08.07 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

hu
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)